छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार,दिनांक 26 अगस्त,2020 (भाद्रपद 4, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (अंकेक्षण अवधि वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक) खण्ड–1 एवं खण्ड–2 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा–19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा–19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–2014 (01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014) पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 पटल पर रखेंगे।

(8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 पटल पर रखेंगे।

(9) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

3. फरवरी–अप्रैल, 2020 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

4. फरवरी–अप्रैल, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267–क के अधीन फरवरी–अप्रैल, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री धरमलाल कौशिक,सौरभ सिंह,सदस्य, प्रदेश में धान व मक्का के बीज का क्रय आदेश देने के पश्चात् भी बीजों की आपूर्ति नहीं किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, खैरागढ़ जल आवर्धन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में हाथियों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति का ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाइसवां, तेइसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां, अट्ठाइसवां, उनतीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, धमतरी के कुरूद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

- (i) कुरूद में संचालित 50 बिस्तर अस्पताल का 100 बिस्तर में उन्नयन करने,
- (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग 30 चर्रा–कुरूद (सरोजनी चौक) मार्ग का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण करने,
- (iii) कुरूद में संचालित शासकीय महाविद्यालय में कन्या एवं बालक छात्रावास भवन बाउंड्रीवाल सहित निर्माण करने,
- (iv) ग्राम चिवरी में संचालित माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
- (v) ग्राम खुरसेंगा में संचालित प्राथमिक स्कूल का माध्यमिक स्कूल में उन्नयन करने,
- (vi) ग्राम कमरौद में संचालित प्राथमिक स्कूल का माध्यमिक स्कूल में उन्नयन करने,
- (vii) ग्राम परसवानी में संचालित प्राथमिक स्कूल का माध्यमिक स्कूल में उन्नयन करने,
- (viii) ग्राम दमकाडीह में संचालित प्राथमिक स्कूल का माध्यमिक स्कूल में उन्नयन करने तथा

(2) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोरबा के ग्राम कोरकोमा में टूटे हुए पुल का निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

11. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

12. प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज लेखा समिति के लिये वर्ष 2020–2021 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2020–2021 की शेष अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए दो–दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो–दो सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

क्रमशः 4

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(10) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020)के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(11) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 25 अगस्त,2020